साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

वर्ष : 5, अंक : 42 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 10 जून से 16 जून 2020 पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण में सुधार, भारत को मिला 168वां स्थान

नई दिल्ली। दुनिया के देशों में पर्यावरण में सुधार को दर्शाने वाली लिस्ट में भारत को 168वें स्थान पर रखा गया है। ये %इनवाइरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स% 2020 येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जारी की है।

इस रिपोर्ट में भारत को उसकी पर्यावरण संबंधी परफॉरमेंस के लिए 100 में से 27.6 अंक दिए गए हैं। जबकि इस इंडेक्स में 82.5 अंकों के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है। 2018 में भारत को इस सर्वे में 177वां स्थान मिला था। उस समय भारत ने 100 में से 30.57 अंक हासिल किए थे। यह इंडेक्स पर्यावरण 32 पैमानों पर आधारित है जिसे 11 श्रेणियों में बांटा गया है। इन्हीं के आधार पर 180 देशों को उनकी परफॉरमेंस के लिए अंक दिए गए हैं।

इस इंडेक्स में भारत के साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन भी कोई खास अच्छा नहीं रहा। भारत दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ 11 देशों से आगे है। इनमें बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन आइलैंड, मेडागास्कर, गिनी, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया शामिल है। जबकि दक्षिण एशिया में भारत, अफगानिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसियों से पीछे है। भारत को इस सर्वे में पर्यावरण से जुड़े सभी मुख्य पांच मापदंडों पर क्षेत्रीय औसत से भी कम अंक मिले हैं। इसमें एयर क्वॉलिटी, स्वच्छता और पेयजल, हैवी मेटल्स आदि शामिल है। क्लाइमेट चेंज में भी दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के भारत दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज में 50.6 अंक हासिल किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में इसका कुल स्कोर 2.9 अंक नीचे चला गया है।

पर्यावरण संरक्षण अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सबको कर्तव्य निभाना होगा

पर्यावरण का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। ज्यों-ज्यों किया इलाज, त्यों-त्यों बढ़ता गया मर्ज वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पर्यावरण के जानकार चेता रहे हैं, सजग कर रहे हैं लेकिन हमारी नींद नहीं टूट रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अकेले सरकार को कटघरे में खड़ा करना या उसकी जवाबदारी तय करना अनुचित है। पर्यावरण संरक्षण में समाज की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आखिरकार सरकार हम बनाते हैं और हम ही सरकार हैं। इसलिए समाज को पर्यावरण की दिशा में पहले जागरूक होना होगा। किसी और पर जिम्मेदारी डालकर फौरीतौर पर हम बच सकते हैं लेकिन दुष्परिणाम हमें ही भुगतना होगा।

चेरापूंजी की बारिश कितने बच्चों को याद है? शायद उन्हें ही स्मरण में होगा जिनके प्रश्नपत्र में यह सवाल पूछे जाते हों। कितने बुर्जुगों को याद होगा कि उन्होंने अपने नाती-पोतों के जन्म के अवसर पर गांव या मोहल्ले में तालाब का निर्माण कराया हो या पहले से बने तालाबों के गहरीकरण में कोई योगदान दिया हो? कितने लोग आज भी बारिश की पहली बूंदों से भीगी मिट्टी की खुश्बू से आल्हादित हो जाते हैं? सबकुछ अंगुलियों में गिनने लायक ही बच गया है। हम परम्परा से दूर भाग रहे हैं और विकास के भेंट चढ़ रहे हैं। शेष दुनिया की बात ना करें और इस दिवस को भारत तक ही केन्द्रित रखें तो हमें निराशा ही मिलेगी। भारत गांवों का देश कहलाता है और हमारी जीवनशैली और देशों की तुलना में भिन्न है। हम लोग ठेठ देशज हैं लेकिन विकास की आंधी में हमारी देशी जीवनशैली गुम होती जा रही है। एक समय था जब बारिश की पहली बूंदों के साथ मिट्टी की सोंधी गंध हमारे नथुनों में भर जाती थी। चेहरे पर इस गंध से एक मुस्कान उभर आती थी और आज कहीं दूर-दराज के इलाकों में शायद ही कभी ऐसा हो। माटी के ऊपर हमने क्रांकीट की सडक़ें बिछा दी है। धरती के भीतर बारिश का जो पानी समा जाता था, उसके रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। तेज फर्राटा से भागने वाली सडक़ों के कारण हम अब उस तापमान में जी रहे हैं जो भारत की कल्पना से बाहर थी. पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का बेहिसाब इस्तेमाल और ई-कचरा से जीवन में घुलता जहर।

उल्लेखनीय है कि समाज की चिंता करते हुए संयुक्त राष्ट्र अलग अलग समस्याओं पर तारीख निर्धारित कर जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस को अलग अलग देशों में हर वर्ष मनाना सुनिश्चित किया गया। साथ ही हर वर्ष इस दिन के लिए अलग अलग थीम का निर्धारण किया गया। इस बात को कितने लोगों को स्मरण होगा कि जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर बोलने का अवसर मिला तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करते हुए अपना व्याख्यान दिया था। भारतीय समाज की मानसिकता आगे पाठ, पीछे सपाट होता है। लगभग साढ़े चार दशक से दुनिया में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि समय रहते हम नहीं चेते तो पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा। आज हम इस संकट से प्रतिदिन जूझ रहे हैं। सुविधा हमारे लिए सर्वोपरि हो गया है और पर्यावरण दूसरे पायदान पर चला गया है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समाज के साथ शासन-सत्ता का भी योगदान अहम है लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण पर्यावरण बदहाल हुआ जा रहा है। सरकार ने सडक़ों पर बेहिसाब दौड़ती गाडियों पर नियंत्रण पाने के लिए कई किस्म के जतन किए हैं। सख्ती भी बरती है लेकिन उसकी दोहरी नीति से उसके ही बनाये कानून तार तार हो रहे हैं। सरकार का नियम है कि 15 वर्ष से पुरानी गाडियों को चलन से बाहर किया जाएगा। तकनीकी रूप से माना गया कि ऐसी गाडियां कंडम हो जाती हैं और प्रदूषण को ज्यादा फैलाती हैं। कई बार बड़े हादसे भी इन गाडियों की वजह से होता है। यह बात ठीक है लेकिन सरकार स्वयं समय-समय पर उपयोग की गई गाडियों की नीलामी करती है।

घट रहा है नदियों में पानी, कम हो रही प्रति व्यक्ति उपलब्धता

2019 में दुनिया को एक चेतावनी मिली। अगर हम वर्ष 2100 तक अपनी आबादी घटाकर सात बिलियन कर लेने के अलावा असमानताएं कम कर लें, प्रभावी भू उपयोग सुनिश्चित करें, संसाधनों की गहन खपत को कम कर लें और अपने उद्योगों एवं जीवनशैली को पर्यावरण के अनुकूल कर लें तो भी पृथ्वी को जल संकट से होकर गुजरना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, भूमि शोधन, सतत भूमि प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में ग्रीनहाउस गैस के प्रवाह को लेकर बने अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की विशेष रिपोर्ट के अंतिम मसौदे में यह निष्कर्ष निकाला गया है।

भारत पहले से ही जल की उपलब्धता को लेकर तनाव की स्थिति में है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) द्वारा जारी किए गए एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार, भारत को दुनिया के 17

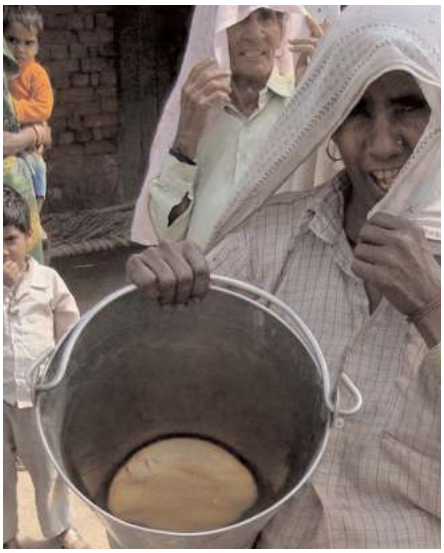

अत्यंत जल-तनावग्रस्त देशों में तेरहवें स्थान पर रखा गया है। भारत में बेसलाइन जल संकट बेहद उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और हमारे बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। किसी भी क्षेत्र में जल तनाव तब उत्पन्न होता है जब पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक होती है या उसकी गुणवत्ता कम होती है जिसके फलस्वरूप जल का प्रयोग नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में घोषित किया है और ऐसे में देश के नीति निर्माताओं के लिए जल निश्चय ही एक सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत में नदियों का एक विस्तृत नेटवर्क है, जो लगभग 20 नदी घाटियों के सहयोग से बनता है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु मिलकर हिमालय के जलग्रहण क्षेत्र से 40 प्रतिशत से अधिक उपयोग करने योग्य सतह-जल को समुद्र तक ले जाती हैं। मानव हस्तक्षेप के अलावा घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपयोगों के लिए जल की बढ़ती मांग ने इसकी उपलब्धता को प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश नदियों के प्रवाह क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1984-85 और 2014- 15 के बीच सिंधु नदी में पानी की मात्रा में 27.78 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की कमी आई है। यह कमी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, कावेरी में कुल उपलब्ध पानी के बराबर है। ब्रह्मपुत्र के जल में 95.56 बीसीएम और गंगा में 15.5 बीसीएम की कमी मापी गई है। 2017 में जारी आंकड़ों से एक और परेशान करने वाला रुझान निकलकर सामने आता है। 2004-05 और 2014-15 के बीच, सिंधु के जलग्रहण क्षेत्र में 1 प्रतिशत, गंगा में 2.7 प्रतिशत और ब्रह्मपुत्र के जलग्रहण क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत की कमी आई है। प्रति व्यक्ति सतह जल उपलब्धता भी 1951 के 5,200 घन मीटर से घटकर 2010 में 1,588 रह गई है।

पर्यावरण संरक्षण और भारतीय मूल्य

प्रकृति के साथ हमारे सह-अस्तित्व एवं साहचर्य की ओर ध्यानाकर्षण का एक विशेष अवसर है। प्रारंभ से ही, मानव जाति स्थानीय से वैश्विक स्तर तक-प्रकृति के साथ सम्यक संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर मनुष्य के बढ़ते लालच का परिणाम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी साबित हुआ है।

पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरे बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं और मनुष्य इस बात के लिए विवश हुआ है कि वह तथ्य को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना सीखे ताकि हम भविष्योन्मुखी और समग्र दृष्टिकोण को अपना सकें और भावी पीढियों के लिए बेहतर पर्यावरण छोड़ सकें। पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का जीवन एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष को 'जैव विविधता' को समर्पित किया जाना इस सह-अस्तित्व को और बल प्रदान करता है। सहिष्णुता सिखाने और मनुष्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रकृति का अपना विशिष्ट तरीका है और इस संबंध को फिर से आत्मसात करने का यह उपयुक्त अवसर है। जहां तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, भारत सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक लोकाचार की समृद्ध परम्परा वाला देश रहा है। वेदों और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है 'माता भूमिः, पुत्रो अहंम् प्रथिव्याः' अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। यहां प्रकृति के पंच तत्वों अर्थात जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु की पूजा पीढियों से होती रही है। देश भर में पेड़-पौधे, पहाड़, नदियों और फसलों की पूजा की विभिन्न धार्मिक मान्यताएं रही हैं। गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, तुलसी, आक, वटवृक्ष पूजा, बैसाखी, गोदावरी पुष्करम, बिहू, राजापर्बा, मकर संक्रांति या पोंगल जैसे त्यौहारों की जड़ें प्रकृति से जुड़ी हैं और ये प्रकृति संरक्षण और सम्मान का शाश्वत संदेश देते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है, जिसे ईश्वर ने 6 विभिन्न ऋतुओं से सुशोभित किया है यथा- ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये 6 ऋतुएं हमें प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा भी प्रदान करती हैं। लगभग एक सदी पहले महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु ने ही यह सिद्ध किया था कि पेड़-पौधों, वनस्पति में भी जीवन होता है, ये भी हमारी तरह ही लगाव एवं दर्द महसूस करते हैं। यहां बिश्नोई समाज का जिक्र करना प्रासंगिक प्रतीत होता है, जिसने हमेशा से ही प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का शाश्वत संदेश दिया है। 1730 के खेजड़ली नरसंहार को याद कीजिए जब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने खेजड़ली वृक्ष के संरक्षण के लिए अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन सदियों पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों के कारण प्रकृति के साथ हमारा एक भावनात्मक और सहज संबंध रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, अलग-अलग जिम्मेदारियों और क्षमता (सी.बी.डी.आर.-आर.सी.) के बावजूद समानतापूर्ण और सांझा सिद्धांतों को अपनाने के प्रति भारत का दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि हम प्रकृति और मानवता के बीच सौहार्दपूर्ण और टिकाऊ संतुलन प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीकेज की घटना एवं केरल के मल्लापुरम में गर्भवती हथिनी की निर्मम अमानवीय हत्या हमारे लिए चिंता का विषय है। इन विषयों में त्वरित कार्रवाई एवं जागरूकता की महत्ती आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पर्यावरण संरक्षण और सभी जीवधारियों एवं प्रकृति के साथ साहचर्य विकसित करने के लिए मानव जाति को ज्यादा सहृदय, करूणा तथा प्रेम का परिचय देना होगा और प्रकृति संरक्षण के सामूहिक प्रयासों को अधिक गति देनी होगी। गंगा कायाकल्प और अन्य नदी सफाई परियोजनाओं में प्रगति हो रही है और सरकार के प्रयासों के सद्परिणाम दिखने लगे हैं। हमारे इंजीनियरों ने एशिया के सबसे पुराने सीसामऊ नाले से गंगा नदी में सीवेज के प्रवाह को रोकने में सफलता हासिल की है। वास्तव में, ये हमारे सामूहिक प्रयासों पर गर्व करने वाली चीजें हैं, लेकिन परिस्थितियों की मांग है कि प्रयास लगातार जारी रखे जाएं और हम अपने कार्य का दायरा भी बढ़ाएं।

लॉकडाउन से यमुना मिली राहत डीपीसीसी ने जारी की रिपोर्ट

लॉकडाउन के चलते तमाम गतिविधियों पर लगी रोक से यमुना को भी राहत की सांस मिली है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का पानी पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में काफी हद तक साफ हुआ है। समिति ने दिल्ली से गुजरने वाली यमुना में नौ जगहों से नमूने उठाए थे। इन नौ में से चार जगहों पर पानी में बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) में 18 से लेकर 33 फीसदी तक की कमी आई है। जबकि, यमुना में गिरने वाले नालों का पानी भी पहले की तुलना में साफ हुआ है।

दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी अपेक्षाकृत साफ-सुथरी है। लेकिन, यहां पर प्रवेश करने के साथ ही यमुना का पानी बेहद गंदा होने लगता है। यह प्रदूषण इस हद तक है कि नदी के कई हिस्सों में जलीय जीवन का बचे रहना भी संभव नहीं रह गया है। इसी के चलते कुछ लोग यमुना को मृत नदी की संज्ञा भी देने लगे हैं। लेकिन, लॉकडाउन के चलते इंसानी गतिविधियों पर लगी तमाम प्रकार की रोक से यह साबित होता है कि यमुना में इंसानों का हस्तक्षेप अगर कम से कम हो तो नदी का पानी अभी साफ है और यमुना नदी अभी सदानीरा नदी है।

लॉकडाउन के तत्काल बाद यमुना नदी का पानी साफ होने के तमाम दावे किए जा रहे थे। जिसके बाद यमुना निगरानी समिति ने इसकी वास्तविकता की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली में नौ जगहों से यमुना के पानी के नमूने उठाए थे। पानी के नमूनों में प्रदूषण की मात्रा की तुलना पिछले साल अप्रैल के महीने में मौजूद पानी के नमूनों से की गई।

इससे पता लगा है कि दिल्ली में तमाम जगहों पर यमुना के पानी में आक्सीजन की मात्रा में खासा सुधार हुआ है और यहां पर बीओडी के स्तर में कमी आई है। आगरा कैनाल, ओखला ब्रिज पर 33 प्रतिशत, आईटीओ पुल पर 21 प्रतिशत, ओखला बैराज पर 18 प्रतिशत, निजामुद्दीन ब्रिज पर 20 प्रतिशत और कुदेशिया घाट पर पानी में आक्सीजन की मात्रा में पिछले साल की तुलना चार फीसदी तक का सुधार हुआ है। जान लें कि नदी में प्रदूषण के स्तर को बीओडी के स्तर से मापा जाता है।

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी आक्सीजन की वह मात्रा है जो किसी माइक्रोआर्गेनिज्म को चाहिए होता ताकि वह किसी आर्गेनिक चीज को (कचरा या प्रदूषक) को डिकंपोस्ट कर सके। इसलिए बीओडी का स्तर ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा आक्सीजन की जरूरत है। दूसरी ओर, रिपोर्ट यह भी बताती है कि यमुना के पानी में भी इस वर्ष इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल के महीने में यमुना में औसतन एक हजार क्यूसेक पानी मौजूद था। जबकि, इस वर्ष अप्रैल के महीने में 3900 क्यूसेक पानी मौजूद है। इससे भी पानी गुणवत्ता में सुधार आया है।

उद्योग बंद होने से आया बदलावः

यमुना के पानी की गुणवत्ता मे आए सुधार के पीछे मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक को कारण माना जा रहा है। इस रोक के चलते उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों में नहीं जा रहा है। इससे यमुना नदी पहले की तुलना में साफ हुई है। हालांकि, अभी इसका पानी ज्यादातर जगहों पर पीने और नहाने लायक नहीं है। क्योंकि, लॉकडाउन के समय में भी घरों से निकलने वाले सीवरेज का बड़ा हिस्सा सीधे इसमें जा रहा है। इससे यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि औद्योगिक कचरे और घरेलू सीवरेज को यमुना में गिरने से रोक लगाए बिना नदी को साफ नहीं किया जा सकता।

पर्यावरण संरक्षण स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक

पूरी दुनिया में व्याप्त तरह-तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारगर प्रयासों पर मंथन करके, भविष्य में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए बेहद आवश्यक कदमों पर अमल करने के उद्देश्य से उसकी रूपरेखा बनाने के लिए नीतिनिर्माताओं के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के लिए सम्पूर्ण विश्व में आम जनमानस के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। वैसे भी जब इस दिवस को शुरुआत में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति वैश्विक स्तर पर सभी देशों के आम जनमानस में राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। उसके बाद ही विश्व में 5 जून 1974 को पहला %विश्व पर्यावरण दिवस% मनाया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिर भी आज विश्व के अधिकांश देशों में बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे ज्यादा बेहद गंभीर ज्वंलत समस्या बन गया है। कही ना कही विश्व में हर तरफ छिड़ी विकास की अंधाधुंध अव्यवस्थित दौड़ ने जगह-जगह प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान देकर हमारी भूमि, जल व वायु को प्रदूषित करके हर तरफ आवोहवा को खराब करने का काम किया है। आज हमारे देश भारत में भी हर तरह का प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है, हालांकि देश में पिछले कुछ माह के लॉकडाउन के चलते हर तरफ सभी कुछ बंद होने के कारण पर्यावरण को पुनर्जीवित होने के लिए भरपूर अवसर मिल गया है, जिसके चलते देश में आजकल सभी प्रकार के प्रदूषण से लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि देश में पर्यावरण की यह स्थिति लगातार किस प्रकार बनी रहे, अब तो चलो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में हुए लॉकडाउन से पर्यावरण को संजीवनी मिल गयी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के पश्चात भविष्य में यह स्थिति किस प्रकार बरकरार रखें यह चुनौती व जिम्मेदारी देश के हर व्यक्ति को समझनी होगी।

आज हम लोग जिस तरह से बहुत तेजी के साथ अव्यवस्थित ढंग से दुष्प्रभाव के बारे में बिना सोचे समझे आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे है वह उचित नहीं है। हमारे देश में किसी भी प्रकार से प्रकृति व पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन ना करना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सभी पक्षों के द्वारा कानून पर्यावरण के सरंक्षण पर होने वाले खर्चों में चोरी छिपे कटौती करके, अत्याधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण के नियम कानूनों की अनदेखी करने वाली सोच प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ी बाधक है। आज हमारे देश के सारे सिस्टम की सोच देश में स्थापित उधोगों के लिए अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करने की हो गयी है, जिसके चलते हम स्वयं भूमि, जल व वायु को प्रदूषित करके देश को जल्द से जल्द विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज और भविष्य में यह स्थिति हम सभी के स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद घातक है और इस समस्या से हमारे देश के नीतिनिर्माता ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के पर्यावरण प्रेमी भी अवगत और चिंतित है। आज खुद मानव जनित घातक प्रदूषण के चलते मनुष्य व जीव जंतु जिस तरह के प्रदूषित वातावरण में रह रहे है, अगर स्थिति को यही पर समय रहते तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में अब तरह-तरह की समस्याओं के चलते स्थिति दिन-ब-दिन बहुत तेजी से खराब होती जायेगी। यह हालात बरकरार रहे तो देश में बहुत सारी जगहों पर पीने योग्य पानी, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु व केमिकल रहित मिट्टी बीते दिनों की बात हो सकती है। देश में हर तरफ प्रदूषण की भयावह हालात होने के बाद आज भी हमारे देश में बार-बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के नियम कायदा-कानूनों के सही ढंग से अनुपालन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से बेहद तल्ख टिप्पणी आती है, हमारे देश के सिस्टम को प्रदूषण व पर्यावरण से जुड़े बेहद गंभीर मसलों पर एनजीटी जैसी महत्वपूर्ण शीर्ष संस्था आयेदिन फटकार लगाती रहती है, लेकिन उसके बाद भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक प्रभावी कदम कागजों की बंद फाईल से निकल कर धरातल पर न जाने क्यों व किसके दवाब में आसानी से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं।

पौने तीन लाख पेड़ काटने पर विचार?

दुनिया भर के नेता आब-ओ-हवा और जंगलों के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करते हैं लेकिन पर्यावरण बनाम विकास की बहस में ऐसे मौक़े कम ही आते हैं जब जंगल और जैव विविधता का पूरा ख़्याल रखा गया हो.

इसी सिलसिले में लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल बैठकों के ज़रिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दो समितियों- नेशनल बोर्ड फ़ॉर वाइल्ड लाइफ़ और फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी (एफ़एसी) ने जैव विविधता और जंगलों से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंज़ूरी देने के सिलसिले में चर्चा की है और कुछ को मंज़ूरी दी भी गई है.

ये चर्चा और मंज़ूरी देने का काम लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए किया गया है.

इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा अरूणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर हो रही है. 3097 मेगावाट वाला ये प्रोजेक्ट देश के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्टों में से एक होगा.

23 अप्रैल को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी (एफ़एसी) ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए एक रिव्यू बैठक की. इस बैठक के औपचारिक ब्यौरे के मुताबिक़ इसमें पावर प्रोजक्ट पर चर्चा की गई जिसे पूरा करने के लिए 2.7 लाख पेड़ों को काटना होगा.

बैठक के मिनट्स के मुताबिक़, एफ़एसी ने जब अपना पक्ष रखा तो वह हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के पक्ष में नज़र आई, तकनीकी शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट को एफ़एसी ने आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी नहीं दी, लेकिन एतराज़ भी नहीं जताया.

एफ़एसी, पर्यावरण मंत्रालय की एक ऐसी कमेटी है जो वन क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए हरी झंडी देने का काम करती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ये कमेटी या एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी क्लीयरेंस दे दे तो मंत्रालय की ओर से ऐसे प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे ही दी जाती है.

इस तरह से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग करके ग्रीन क्लीयरेंस या प्रोजेक्ट पर चर्चा करने पर पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश सहित कई पर्यावरण वैज्ञानिकों ने पूछा है कि पर्यावरण से जुड़े इतने अहम फ़ैसले इतनी जल्दीबाज़ी में क्यों किए जा रहे हैं?

हालांकि एफ़एसी ने साफ़ किया कि अब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल एफ़एसी की सब-कमेटी और वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट की उस रिपोर्ट को लेकर उठाया जा रहा है जिस पर एफ़एसी ने इस वीडियो कॉन्फ़्रेस बैठक के दौरान चर्चा की है. देश के नामचीन पर्यावरण शोधकर्ताओं नंदिनी वैल्लो, उमेश श्रीनिवासन, चिंतन सेठ जैसे 28 पर्यावरणविदों के मुताबिक़ इस रिपोर्ट में कई ख़ामियां होने के बावजूद इसे एफ़एसी की उपसमिति ने सराहा है.

क्या है पूरा मामला?

28 फ़रवरी 2017 को एफ़एसी ने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की थी. ये प्रोजेक्ट एक इतालवी कंपनी, जिंदल पावर लिमिटेड और अरूणाचल प्रदेश के हाइड्रोपावर विभाग का साझा वेंचर है. इस बैठक में जिंदल पावर लिमिटेड की पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यानी ईआइए को ख़ारिज कर दिया गया था.

कमेटी ने जैव विविधता पर होने वाले असर के मूल्यांकन के लिए मल्टी सीज़नल स्टडी करने का आदेश वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया को दिया था.

साल 2019 में वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने जैव विविधता पर मूल्यांकन रिपोर्ट की जगह एक कंज़र्वेशन प्लान सौंपा जिसका शीर्षक था वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशन प्लान फ़ॉर इम्पैक्ट ज़ोन ऑफ़ दिबांग वैली.

जाने-माने इकॉलजिस्ट और बायोडाइवर्सिटी पर काम करने वाले उमेश श्रीनिवासन उन चार पर्यावरण शोधकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने एफ़एसी को चिट्ठी लिखकर इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं.

उमेश श्रीनिवासन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट को प्रोजेक्ट के प्रभावों पर अध्ययन करना था तो ये कंज़र्वेशन प्लान में क्यों बदल गया. पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन जिसे एनवॉयरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) कहा जाता है जिसका अर्थ होता है जो नुक़सान होगा उसका अध्ययन हो फिर उसे देखकर एफ़एसी क्लियरेंस देगी. कंज़र्वेशन प्लान क्लियरेंस मिलने के बाद होता है यानी इसमें ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट से होने वाले नुक़सान को कैसे कम किया जाएगा. अब ये समझ पाना मुश्किल है कि ये ईआईए कैसे वाइल्ड लाइफ़ का कंज़र्वेशन प्लान में बदल गया.

श्रीनिवासन आगे कहते हैं, पर्यावरण ये जुड़े रिव्यू और क्लीयरेंस के लिए जिस तरह मैप और डिटेल समझनी पड़ती है वो ऑनलाइन बैठकों में संभव ही नहीं है. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में जितनी जानकारी की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए, वह वीडियो कॉन्फ़्रेंस में मुमकिन नहीं है। साल 2019 में एफ़एसी ने मंत्रालय को एक उप-समिति बनाने का सुझाव दिया जिसका गठन 15 जनवरी 2020 को किया गया. इस उप-समिति का काम दिबांग घाटी के प्रभावित इलाक़े का दौरा करना और स्थानीय अधिकारियों से बात करना था. ये तय करना था कि कितने पेड़ काटे जा सकते हैं और वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को देखने जैसे काम इस उपसमिति के लिए तय किए गए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008